

जनसंपर्क संचालनालय  
मध्य प्रदेश  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 05 अगस्त, 2013


क्रमांक: ए-5-3/2010-13/जसंसं/स्था/ 5306 /मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/ नियम/ चार दिनांक 01 अप्रैल, 2008, दिनांक 04 अप्रैल, 2008, दिनांक 24 सितम्बर 2008 एवं क्रमांक सी 3-15/2009/3/एक/दिनांक 07/11/2009, दि 07/11/2009 तथा 13/11/2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जनसंपर्क संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके संवर्ग में 10 वर्ष/20 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने पर उनके समक्ष दर्शाई तिथि से प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्र	कर्मचारी का नाम, पद एवं वर्तमान पदस्थापना का स्थान	धारित पद पर नियुक्ति की तिथि	क्रमोन्नत/समयमान के अंतर्गत 12/24 एवं 10 वर्ष पूर्ण होने पर स्वीकृत उच्चतर वेतनमान	10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वीकृत प्रथम उच्च वेतनमान एवं दिनांक	20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वीकृत द्वितीय उच्च वेतनमान एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री महेन्द्र व्यास तत्कालीन सहा, सू. अधि. जि.ज.का. सीहोर (वर्तमान में स.ज.सं.अ. प्रतिनियुक्ति पर खेल संचालनालय)	30.05.92	9300-34800+ 3600 प्रथम उच्चतर समयमान		9300-34800+4200 (30.05.2012 से 29.08.2012)
2.	श्री उमेश चन्द्र तिवारी सहायक सूचना अधिकारी जि.ज.का. पन्ना	19.01.93	9300-34800+ 3600 प्रथम उच्चतर समयमान		9300-34800+ 4200 19.01.2013 से
3.	श्री शकील अहमद सहायक सूचना अधिकारी जि.ज.का. शाजापुर	04.02.93	9300-34800+ 3600 प्रथम उच्चतर समयमान		9300-34800+ 4200 04.02.2013 से
4.	श्री दामोदर शर्मा शीघ्रलेखक मुख्यालय, भोपाल	09.03.93	9300-34800+ 3600 प्रथम उच्चतर समयमान		9300-34800+ 4200 09.03.2013 से
5.	श्री रामकृष्ण शुक्ल शीघ्रलेखक मुख्यालय, भोपाल	09.03.93	9300-34800+ 3600 प्रथम उच्चतर समयमान		9300-34800+ 4200 09.03.2013 से
6.	श्री सुमंत गुजर सहायक ग्रेड-3 मुख्यालय, भोपाल	07.05.93	5200-20200+ 1900 पद का वेतनमान	5200-20200+2400 (01.04.06 से 06.05.13 तक)	5200-20200+ 2800 07.05.13 से
7.	श्रीमती रतन बाई लश्करी भृत्य मुख्यालय, भोपाल	10.01.92	4440-7440+ 1400 प्रथम उच्चतर समयमान		5200-20200+ 1800 10.01.2012 से

2/ समयमान वेतनमान के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-11-1/2008/नियम/चार दिनांक 01 अप्रैल 2008 की कंडिका 9 में स्पष्ट किया गया है कि जिन शासकीय सेवकों को प्रारंभिक नियुक्ति के पद से एक, दो अथवा दो से अधिक पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो चुका है, उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन उच्चतर वेतनमान की पात्रता होगी।

3/ जिन कर्मचारियों को क्रमोन्नति योजना अन्तर्गत वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24 जनवरी, 2008 में निहित प्रावधान की कंडिका 12 के अनुसार समयमान वेतनमान हेतु इन कर्मचारियों की उपयुक्तता के लिए गोपनीय प्रतिवेदनों के पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

5/ सहायक ग्रेड तीन के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा विलम्ब से उत्तीर्ण की है अथवा जिन्हें उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट प्राप्त है, को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सी 3-15/2009/3/एक दिनांक 07 नवम्बर 2009 के बिन्दु क्रमांक 2 में जारी किये गये स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में केवल समयमान वेतनमान के लिए सेवा की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाकर पात्रतानुसार उच्चतर वेतनमान का लाभ दिया गया है। शासन निर्देशानुसार इसका लाभ अन्य किसी प्रयोजन (वरिष्ठता, पदोन्नति, स्थायीकरण) के लिए नहीं मिलेगा।



6/ वित्त विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जनवरी 08 की कंडिका 7 के अनुसार सिविल सेवा के किसी सदस्य की पदोन्नति होने पर यदि वह पहले से पदोन्नति पद के वेतनमान पर नियुक्त है तो, उसे पदोन्नति पश्चात वेतन निर्धारण हेतु अपने मूल पद के संवर्ग में मूलभूत नियम 22 डी अथवा उच्चतर वेतनमान में प्राप्त वेतन के संदर्भ में मूलभूत नियम 22 (ए) (11) के अन्तर्गत जो भी अधिक लाभदायक हो, का लाभ मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त पदोन्नति के पद के वेतनमान से उच्चतर वेतनमान में नियुक्त है, तो वह उच्चतर वेतनमान का लाभ पदोन्नति पश्चात भी व्यक्तिगत वेतन के रूप में प्राप्त करेगा।

7/ आदेश की कंडिका 13 के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत उच्च वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इन्कार करता है तो उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत उससे वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा, परन्तु बाद में उसे उच्चतर वेतनमान का कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

उपरोक्त कर्मचारियों की वेतनवृद्धि की तिथि पूर्ववत् ही रहेगी तथा पदनाम परिवर्तित नहीं होगा।


  
(राकेश श्रीवास्तव)  
आयुक्त, जनसंपर्क

क्रमांक: ए-5-3/2010-13/जनसंसं/स्था/  
प्रतिलिपि

5307

/ भोपाल, दिनांक 05 अगस्त, 2013

1. समस्त अपर संचालक /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, जनसम्पर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लेखा जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
4. उप संचालक लेखा एवं आहरण संचालन अधिकारी, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
6. संयुक्त संचालक सम्भागीय जनसंपर्क कार्यालय, भोपाल /सागर /उज्जैन।
7. सहायक संचालक/ सहायक सूचना अधिकारी/ जिला जनसंपर्क कार्यालय सीहोर/पन्ना/ शाजापुर मध्यप्रदेश।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल।
9. जिला कोषालय अधिकारी, सीहोर/पन्ना/शाजापुर मध्यप्रदेश।
10. संबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमती.....सहायक सूचना अधिकारी/शीघ्रलेखक/सहायक ग्रेड-3/भृत्य, जनसंपर्क संचालनालय मुख्यालय भोपाल/जिला जनसंपर्क कार्यालय, सीहोर/पन्ना/शाजापुर/ संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्यप्रदेश।
11. प्रेस प्रकोष्ठ राजभवन/मुख्यमंत्री/जनसंपर्क निवास/मंत्रालय भोपाल।
12. अध्यक्ष, विभागीय तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समिति, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल।
13. प्रशासकीय अधिकारी/सहायक जनसंपर्क अधिकारी/संबंधित सहायक, अवकाश/ गोपनीय कक्ष/स्थापना/लेखा /सूचना का अधिकार कक्ष जनसंपर्क संचालनालय मुख्यालय भोपाल।
14. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
14. स्टाक/रिकार्ड।

  
(सुरेश तिवारी)  
अपर संचालक (प्रशा.)